भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर

चर्चा में क्यों?

इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति-मुक्त शहर बन गया है, जहाँ **प्रशासन** ने भिक्षुओं का पुनर्वास कर उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान किये हैं और भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया है।

मुख्य बिंदु

- **बहु-चरणीय अभियान रणनीति:**
  - फरवरी 2024 में, शहर में **महिला एवं बाल विकास विभाग** के तहत भिक्षावृत्ति विरोधी अभियान **शुरू किया गया।**
    - उस समय, अधिकारियों ने इंदौर की सड़कों पर रहने वाले 500 बच्चों सहित लगभग 5,000 भिखारियों की पहचान की थी।
  - यह अभियान दो प्रमुख चरणों में चलाया गया:
    - **चरण 1:** जनता को सूचित करने और हितधारकों को शामिल करने के लिये जागरूकता अभियान।
    - **चरण 2:** रोज़गार सहायता और बच्चों के स्कूल नामांकन के माध्यम से भिखारियों का पुनर्वास।
  - पाया गया कि कई भिखारी राजस्थान से पलायन कर आए हैं, जिससे **शहरी भिक्षावृत्ति के अंतर्राज्यीय आयाम उजागर होते हैं**।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:**
  - इस पहल को **केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा **एक आदर्श परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है।**
    - शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने की समस्या को खत्म करने के लिये पायलट परियोजना के लिये चयनित 10 शहरों में इंदौर भी शामिल है।
  - विश्व बैंक **की** एक **टीम ने** भी अभियान के प्रभाव को स्वीकार किया है।

भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान

- **औपनिवेशिक कानून**: **वर्ष 1871** के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया **तथा उन्हें भिक्षावृत्ति से** जोड़ दिया।
- **वर्तमान विधिक ढाँचा: भारतीय संविधान** के अनुसार **संघ** और **राज्य सरकारों** दोनों को समवर्ती सूची **(सूची III, प्रविष्टि 15)** के तहत **आहडिन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित)**, **घुमंतू** और **प्रवासी जनजातियों** पर विधि का निर्माण करने की अनुमति है।
  - **भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं** है। इसके स्थान पर, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने **बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959** को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है।
    - इस अधिनियम में **भिक्षुक** को न केवल भिक्षा माँगने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी व्यक्ति भी शामिल हैं जो **सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं**, **जीविकोपार्जन हेतु वस्तुओं का विक्रय करते हैं** अथवा निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन के आभाव में निराश्रित होते हैं।
    - **आहडिन में भिक्षा माँगना भी शामिल** है और अधिनियम के अनुसार इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियाँ **सामाजिक उपद्रवी** होते हैं।
- **विधिशास्त्र: दिल्ली उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि **बॉम्बे अधिनियम की प्रवृत्ति मनमाना** है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है और निर्धनता को अपराध घोषित किये बिना इसका समाधान किये जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में सार्वजनिक स्थानों से भिक्षुकों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग वाले एक लोकहित मुकदमे को खारिज़ कर दिया और निर्णय सुनाया कि **भिक्षावृत्ति एक आपराधिक मुद्दा** नहीं अपितु **सामाजिक-आर्थिक समस्या** है।
- **SMILE: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता (SMILE) योजना का उद्देश्य वर्ष **2026 तक "भिक्षावृत्ति मुक्त" भारत** की दिशा में कार्य करते हुए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर **भिक्षुकों का पुनर्वास** करना है।
  - वर्ष 2024 तक, SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें बालकों की संख्या 352 थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indias-first-beggar-free-city